

मांग संख्या 64
मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 1 से 2

अनुसूचित जाति छात्रावास के आकस्मिकता स्थापना के कर्मचारियों के वेतन भत्ते हेतु ` 150.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 1,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 3

अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को प्रावीण्य में उन्नयन योजना हेतु ` 6.40 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 6,40,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 4 से 6

कला एवं वाणिज्य महाविद्यालयों के शिक्षकों/कर्मचारियों के वेतन भत्ते हेतु राशि ` 175.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 1,75,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2210

मद क्रमांक 7

चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर के छात्रों के शिष्यवृत्ति हेतु राशि रूपये 10.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2216

मद क्रमांक 8 से 9

इंदिरा आवास योजनांगत राज्यांश मद में राशि ` 43.30 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 43,30,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2217

मद क्रमांक 10 से 11

नगर पालिका क्षेत्र में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्यांश मद में ` 3.10 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 3,10,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 12 से 13

नगर पंचायत क्षेत्र में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्यांश मद में ` 3.10 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 3,10,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 14 से 15

नगर निगम क्षेत्र में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्यांश मद में ` 6.99 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 6,99,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2225

मद क्रमांक 16 से 17

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम 1989) के अनुपालन हेतु ` 30.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ` 30,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 18

मुख्यमंत्री कन्यादान योजनांतर्गत राशि ₹ 166.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,66,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2403

मद क्रमांक 19 से 20

पशुरोग नियंत्रण योजनांतर्गत राशि रूपये 187.50 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,87,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2501

मद क्रमांक 21 से 22

नव गठित जिलों में जिला पंचायत कार्यालय की स्थापना हेतु राशि ₹ 4.50 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 4,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2702

मद क्रमांक 23

शाकम्बरी योजना अंतर्गत राशि ₹ 25.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2851

मद क्रमांक 24

रेशम उद्योग का विकास कार्य योजनांतर्गत मजदूरी मद में राशि ₹ 3.15 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 3,15,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 25 से 26

टसर रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम योजनांतर्गत मजदूरी मद में राशि ₹ 22.58 लाख एवं सामग्री और पूर्तियां मद में राशि ₹ 41.44 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु कुल ₹ 64,02,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4700

मद क्रमांक 27

महानदी परियोजना की लवन शाखा मुख्य नहर लाइनिंग कार्य का मद परिवर्तन आवश्यक है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जाएगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 5054

मद क्रमांक 28

रायपुर जिले के बिलाईगढ़ विकासखण्ड में ओड़काकन-पंडरीपाली मार्ग पर पुल निर्माण (अनुमानित लागत ₹ 250.00 लाख) पर इस वर्ष राशि ₹ 10.00 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जाएगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 29

निम्नलिखित ग्रामीण सड़क निर्माण कार्यों को अपरीक्षित नवीन मद के रूप में शामिल किया गया है :-

1. बिलासपुर जिले के पौनी डोडा से झलियापुर मार्ग निर्माण (लम्बाई 8 कि.मी. व अनुमानित लागत ₹ 223.00 लाख) पर इस वर्ष ₹ 10.00 लाख का व्यय संभावित है ।

2. बिलासपुर जिले के चातरखार से टेढ़ाधौरा छिरहा मार्ग निर्माण (लम्बाई 68 कि.मी. व अनुमानित लागत ₹ 413.00 लाख) पर इस वर्ष ₹ 10.00 लाख का व्यय संभावित है ।
3. बिलासपुर जिले के बाघामुड़ा से टिंगीपुर मार्ग निर्माण (लम्बाई 34 कि.मी. व अनुमानित लागत ₹ 186.00 लाख) पर इस वर्ष ₹ 10.00 लाख का व्यय संभावित है ।
4. बिलासपुर जिले के धनगांव से सम्बलपुर-चकरभाटा मार्ग निर्माण (लम्बाई 8 कि.मी. व अनुमानित लागत ₹ 454.00 लाख) पर इस वर्ष ₹ 10.00 लाख का व्यय संभावित है ।

यह व्यय विभागीय बचत से किया जाएगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 400 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 6408

मद क्रमांक 30

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ को बारदाना क्रय हेतु ऋण तथा अग्रिम योजनांतर्गत राशि ₹ 765.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 7,65,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।